14-04-2021

थाना धामपुर पुलिस द्वारा अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड, 19 बने–अधबने अवैध शस्त्र, 06 कारतूस तथा शस्त्र बनाने के उपकरण सहित हिस्ट्रीशीटर वसीम उर्फ गलकटा गिरफ्तार।

मु0अ0सं0– 163/2021 **धारा–** 5/25 शस्त्र अधिनियम **बनाम–** वसीम आदि
दिंनाक घटना– 14.04.2021 **घटनास्थल–** काशीराम आवासीय कालोनी धामपुर

आगामी ग्राम पंचायत चुनाव–2021 के दृष्टिगत मेरे द्वारा जनपद मे अवैध शस्त्रो के निर्माण एवं क्रय–विक्रय करने वालो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी व क्षेत्राधिकारी धामपुर के निकट पर्यवेक्षण मे थाना धामपुर पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर आज दिनांक 14.04.2021 को प्रातः 02:05 बजे धामपुर स्योहारा रोड पर काशीराम आवासीय कालोनी धामपुर मे अवैध शस्त्र बनाते हुए मय अवैध शस्त्र मय अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण सहित एक नफर अभियुक्त वसीम उर्फ गलकटा पुत्र फुरकान निवासी मौ0 बन्दूकचियान थाना धामपुर जनपद बिजनौर को भारी मात्रा मे बने व अधबने 19 अवैध शस्त्र व शस्त्र बनाने के उपकरण आदि सहित गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध मे थाना धामपुर पर मु0अ0स0 163/2021 धारा 5/25 शस्त्र अधि0 पंजीकृत किया गया। **अभि0 वसीम उपरोक्त थाना धामपुर का हिस्ट्रीशीटर है।**

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्त द्वारा पूछताछ मे बताया कि वह काफी समय से अवैध शस्त्रो का निर्माण कर उसका विक्रय करने का काम कर रहा है। पंचायत चुनाव के चलते अवैध शस्त्रो की मांग बहुत बढ गयी है। इसलिए भारी मात्रा मे अवैध शस्त्रो का निर्माण कर रहा था। अवैध शस्त्र तैयार कर तमन्चे को 5000–10,000 रुपये प्रति के हिसाब से बेच देते है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

वसीम उर्फ गलकटा पुत्र फुरकान निवासी मौ0 बन्दूकचियान थाना धामपुर जनपद बिजनौर
(एचएस नं0– 5ए)

बरामदगी का विवरण–

1–04अदद तमंचा 12 बोर मय
2–06 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर
3–05 अदद नाल लोहा अर्ध बनी 12 बोर
4–07 अदद नाल लोहा अर्ध बनी 15 बोर
5–3 अदद बाडी रिवाल्वर अर्ध बनी
6–03 सिलेण्डर रिवांलवर 5 बोर वाले
7–भारी मात्रा में शस्त्र बनाने के उपकरण

<u>आपराधिक इतिहास अभियुक्त वसीम उर्फ गलकटा उपरोक्तः–</u>

1.मु0अ0सं0 205/17 धारा 395/397/342/504/506/412 भादवि नजीबाबाद, बिजनौर
2.मु0अ0सं0 219/17 धारा 380/411 भादवि थाना नजीबाबाद, बिजनौर
3.मु0अ0सं0 422/17 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना नजीबाबाद, बिजनौर
4.मु0अ0सं0 1223/2008 धारा 392 भादवि थाना धामपुर, बिजनौर
5.मु0अ0सं0 196/17 धारा 395 भादवि थाना हल्दौर, बिजनौर
6.मु0अ0सं0 600/2008 धारा 392/411 भादवि थाना नहटौर, बिजनौर
7.मु0अ0सं0 484/2013 धारा 379/411 भादवि थाना कोतवाली शहर, बिजनौर
8.मु0अ0सं0 814/2003 धारा 379/411 भादवि थाना कोतवाली शहर, बिजनौर
9.मु0अ0सं0 178/16 धारा 379/411 भादवि थाना नगीना, बिजनौर
10.मु0अ0सं0 113/2018 धारा 302/307 भादवि थाना स्योहारा, बिजनौर
11.मु0अ0सं0 103/19 धारा 307 भादवि थाना धामपुर, बिजनौर
12.मु0अ0सं0 104/19 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम थाना धामपुर, बिजनौर
13.मु0अ0सं0 105/19 धारा 5/25 शस्त्र अधिनियम थाना धामपुर, बिजनौर
14.मु0अ0सं0 106/19 धारा 10 उत्तर प्रदेश गुण्डा अधि0 थाना धामपुर, बिजनौर
15.मु0अ0सं0 227/19 धारा 379/411 भादवि थाना धामपुर, बिजनौर
16.मु0अ0सं0 20/2020 धारा 323/307/504 भादवि थाना नगीना, बिजनौर
17.मु0अ0सं0 22/2020 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम थाना नगीना, बिजनौर
18.मु0अ0सं0 251/2020 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम थाना धामपुर, बिजनौर
19.मु0अ0सं0 163/2021 धारा 5/25 शस्त्र अधिनियम थाना धामपुर, बिजनौर

<u>गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरणः–</u>

1–प्रभारी निरीक्षक श्री अरुण कुमार त्यागी 2–उ0नि0 श्री सुरेन्द्र मलिक 3–उ0नि0 श्री मुकेश कुमार 4–का0 2335 विजय 5–का0 552 राजेन्द्रपाल

<u>थाना नगीना देहातः</u>– आज दिनांक 14.04.2021 को थाना नगीना देहात पुलिस द्वारा अभियुक्त आदित्य पुत्र सुनील निवासी ग्राम नर्सरी थाना कोतवाली जनपद बिजनौर को मु0अ0सं0 110/21 धारा 363 भादवि मे गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

<u>थाना नगीना देहातः</u>– आज दिनांक 14.04.2021 को थाना नगीना देहात पुलिस द्वारा अभियुक्त दिलशाद पुत्र बिन्दु शाह निवासी सहाअलीपुर जमन थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर को मु0अ0सं0 113/21 धारा 436,504 भादवि मे गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

दिनॉक 14.04.2021

मिशन शक्ति
नारी सुरक्षा
नारी सम्मान
शारदीय नवरात्र, 2020 – बासन्तिक नवरात्र, 2021

आज दिनांक 14.04.2021 को प्रभारी एण्टी रोमिंयों टीम बिजनौर द्वारा बस स्टैण्ड/बाजर/भीड़भाड़ वाले स्थानों पर जाकर मंचलो पर शिकंजा कसा गया व उ**0**प्र**0** सरकार द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वालम्बन के लिये चलाये जा रहे विशेष अभियान "मिशन शक्ति" के अन्तर्गत छात्राओं/महिलाओं को जागरूक किया तथा हैल्पलाईन नंबर **102**, **108**, **112**, **181**, **1076**, **1098**, **1090** व जनपद के सभी थानो पर खुले महिला हेल्प डेस्क के महत्व के सम्बन्ध में जागरूक किया।